- 1 -

(17)

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

.... 2013 निगरानी R 1193-PBR/13

प्रकाशसिंह पुत्र श्री बिहारीसिंह कुर्मी,
निवासी–ग्राम पडरिया पापड़ा, तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन म.प्र.

...............वादी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह
2. देवेन्द्र सिंह

दोनों पुत्रगण श्री दलीप सिंह, निवासीगण
ग्राम–ढोलखेड़ी, तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

.............प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकित 18.02.2013 जो प्रकरण कमांक 50ए–6ए/2011–12 में न्यायालय तहसीलदार, जिला–विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, इस निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 117 म.प्र. भूराजस्व संहिता का श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी ग्राम ढोलखेड़ी पटवारी ह.नं. 39 तहसील व जिला विदिशा के आराजी नं. 201 रकवा 1.860 हे., आराजी नं. 245 रकवा 0.063 हे., आराजी नं. 332 रकवा 0.491 हे., आराजी नं. 343 रकवा 0.021 हे., आराजी नं. 344 रकवा 2.613 हे., आराजी नं. 345 रकवा 1.003 हे., आराजी नं. 389 रकवा 8.352 हे., आराजी नं. 393 रकवा 1.547 हे., आराजी नं. 401 रकवा 0.836 हे., आराजी नं. 403 रकवा 0.052 हे., आराजी नं. 413/1/1 रकवा 0.314 हे., आराजी नं. 413/1/3 रकवा 0.445 हे. एवं आराजी नं. 413/3 रकवा 1.881 हे. कुल नम्बर 13 रकवा 19.478 हे. का एकमात्र मालिक होकर काबिज है, जबकि अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी पर खसरा के खाना नं. 12 में अपने नाम का नामांतरण बिना किसी आधार और आदेश के वर्ष 2011–12 में करा लिया है, जबकि भूमिस्वामी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा दर्ज किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस कारण उपरोक्त वर्णित आराजी पर खसरा कागजात में खसरा के कॉलम नं. 12 में अनावेदकगण का नाम हटाकर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किया जावे, जो तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 50ए–6ए/2011–12

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1193/पीबीआर/2013 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
2-11-16	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक श्री एल०एस०धाकड़ तथा अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी तहसीलदार विदिशा के प्रकरण नम्बर 50 ए-6-ए/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है, जिसके व्दारा तहसीलदार विदिशा ने ग्राम ढोलखेड़ी के कुल सर्वे नंबर 13 के कुल रकबा 19.478 हैक्टर के खसरे के कालम नंबर 12 में अनावेदकगण के नाम की कब्जे की चली आ रही प्रविष्टि को विलोपित करने हेतु दिये गये आवेदन पर अंतिम आदेश दिनांक 18-2-13 से प्रकरण स्थल निरीक्षण एंव अनावेदकगण को सुनवाई हेतु सूचना दिये जाने के लिये नियत किया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि कैफियत के खाना नंबर 12 में वगैर किसी आधार के अनावेदकगण के नाम की कर दी गई प्रविष्टि हटाने के लिये अनावेदकगण को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिये उन्हें सूचना पत्र जारी करने वावत् लिया गया निर्णय गलत है। जब आवेदक स्वयं् स्वीकार कर रहा है कि ग्राम ढोलखेड़ी के कुल सर्वे नंबर 13 के कुल रकबा 19.19.478 हैक्टर के खसरों के कालम नंबर 12 में अनावेदकगण के नाम की कब्जे की प्रविष्टि है उनके नाम की प्रविष्टि विलोपित करने हेतु प्रस्तुत किये गये दावे के कम में रिकार्डेड अनाववेदकगण को सुना जाना आवश्यक है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 18-2-2013 से लिया गया निर्णय	

उचित है । वैसे भी आवेदक के पास अपना दावा प्रमाणित करने का तहसीलदार के समक्ष अवसर प्राप्त है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-2-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण नम्बर 50 ए-6-ए/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2013 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य